



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082023-248030
CG-DL-E-11082023-248030

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3437]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 2023/श्रावण 20, 1945

No. 3437]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 2023/SHRAVANA 20, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2023

का.आ. 3591(अ).—सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और लाभार्थियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को कम करके सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे उनकी पात्रताएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है;

और जबकि, भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् योजना कहा गया है) को चला रही है, जिसे जिला चिकित्सा प्राधिकरणों या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) द्वारा अधिसूचित किसी अन्य चिकित्सा प्राधिकरण के माध्यम से लागू किया जा रहा है;

और जबकि, इस योजना के अधीन, दिव्यांगजनों का विशिष्ट केंद्रीय डेटाबेस, भारत संघ राज्य क्षेत्र में विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) की मान्यता और विभिन्न सरकारी योजनाओं को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) के साथ जोड़ने के कारण समय-समय पर होने वाले संभावित लाभ (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभ कहा गया है) योजना और उसके अधीन जारी किए गए दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार उन दिव्यांगजनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को दिए जाते हैं जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं;

और जबकि, योजना के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से किए गए आवर्ती व्यय शामिल हैं;

अतः अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. (क) योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी बच्चे (18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांगजन) को आधार संख्या रखने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा;
- (ख) योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी बच्चे, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को योजना के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पहले अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के अध्वधीन आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा बच्चा आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जाएगा;
- (ग) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में स्थित कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर यूआईडीएआई आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

परन्तु जब तक बच्चे को आधार नहीं सौंपा जाता है, तब तक योजना के अधीन ऐसे बच्चे को लाभ दिए जाएंगे, जो निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत होने के अधीन होंगे, अर्थात्:-

- (क) (i) यदि लाभार्थी को पांच वर्ष की आयु के बाद नामांकित किया गया था (बायोमेट्रिक्स क्लेक्शन के साथ), उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मैट्रिक अपडेट पहचान पर्ची या;
- (ii) लाभार्थी द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति; और
- (ख) योजना के अनुसार माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ संबंध के प्रमाण के रूप में लाभार्थियों के निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी, अर्थात्:-
 - i. जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या
 - ii. विद्यालय के प्राचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल पहचान पत्र, जिसमें माता-पिता के नाम हैं; और
 - iii. राशन कार्ड; या
 - iv. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्ड; या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कार्ड; या
 - v. पेंशन कार्ड; या
 - vi. सेना कैंटीन कार्ड; या
 - vii. कोई भी सरकारी परिवार पात्रता कार्ड; या
 - viii. विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु, यह और कि, उपरोक्त दस्तावेजों को उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा जांचा जाएगा।

2. योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से लाभ प्रदान करने के लिए, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि लाभार्थियों को योजना के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. सभी मामलों में, जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाते हैं, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्: –

- (क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या फेस प्रमाणीकरण सुविधा को अपनाया जाएगा, और विभाग, अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से, निर्बाध रीति से लाभ प्रदान करने के लिए फिंगर-प्रिंट प्रमाणीकरण के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या फेस प्रमाणीकरण के लिए प्रावधान करेगा;
- (ख) यदि उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन या फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, सीमित समय वैधता वाले यथास्थिति आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा प्रमाणीकरण किए जाएंगे;
- (ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के अधीन भौतिक (फिजिकल) आधार पत्र के आधार पर लाभ दिए जा सकते हैं जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. प्रत्येक बच्चा इस योजना के अधीन लाभ का हकदार होगा, और यदि कोई शिशु प्रमाणीकरण के माध्यम से, या आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करके, या किसी ऐसे शिशु के मामले में, जिसे कोई आधार संख्या नहीं सौंपी गई है, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहता है, तो ऐसे शिशु को पैरा 1 के उप-पैरा (ग) के परंतुक के खंड (ख) में यथा उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान सत्यापित करके लाभ दिया जाएगा और जहां ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर लाभ दिया जाता है, उसे रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा, विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से जिसकी आवधिक रूप से समीक्षा और लेखा परीक्षा की जाएगी।

5. यह अधिसूचना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. पी. 13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (divyangjan)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2023

S.O. 3591(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred as the Department) in the Government of India is administering the Unique Disability Identification (UDID) (hereinafter referred to as the Scheme) as a Central Sector Scheme, which is being implemented through the District Medical Authorities or any other medical authority notified by the State Government or Union Territory Administration (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, unique central database of persons with disabilities, recognition of UDID card across the territory of the Union of India and potential benefits which may arise from time to time due to linking of various Government schemes with UDID card (hereinafter referred to as the benefits) is given to persons with disabilities who are below the age of 18 years (hereinafter referred to as the beneficiaries) as per the Scheme and extend guidelines issued thereunder;

And whereas, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

- (a) a child (persons with disabilities who are below the age of 18 years) desirous of availing the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;
- (b) any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number, or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme, provided such child is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and that child shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;
- (c) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department, through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child, benefits under the Scheme shall be given to such child, subject to production of the following documents, namely:-

- (a) (i) if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip, or;
 - (ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary; and
- (b) any of the following documents of the beneficiaries as proof of relationship with the parent or legal guardian as per the Scheme, namely:-
 - i. Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or
 - ii. (School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and
 - iii. Ration Card; or
 - iv. Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or
 - v. Pension Card; or
 - vi. Army Canteen Card; or
 - vii. any Government Family Entitlement Card; or
 - viii. any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department, through its Implementing Agency, shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

- (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Department, through its Implementing Agency, shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
- (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
- (c) in all other cases, where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter

and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Every child shall be entitled to the benefit under the Scheme, and in case a child fails to establish its identity, by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, on producing an application for enrolment, the benefit shall be given to such child by verifying its identity on the basis of other documents as mentioned in clause (b) of the proviso to subparagraph (c) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[F. No. . P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.